# न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

## श्रमिकों हेतु

## दिनांक 01.10.2016

## से प्रभावशील

## न्यूनतम वेतन
## एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते
## की दरें

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2016 / 6037, रायपुर, दिनांक – 15.09.2016

## अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2016 से जून 2016 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

| माह / वर्ष | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100) |
|---|---|
| जनवरी 2016 | 5001 |
| फरवरी 2016 | 4965 |
| मार्च 2016 | 4965 |
| अप्रैल 2016 | 4995 |
| मई 2016 | 5065 |
| जून 2016 | 5118 |
| कुल | $\frac{30110}{6} = 5018$ |

इनका औसत 4956 घोषित करता हूँ, पूर्व में कृषि नियोजन का औसत 4956 को वर्तमान औसत 5018 से घटाने पर 62 बिन्दु की वृद्धि हुई है। अतः कृषि नियोजन के लिए 01.10.2016 से 31.03.2017 तक के लिये मंहगाई भत्ते में रूपये 62.00 की वृद्धि घोषित करता हूँ। जो कि **अनुसूची– ''ख''** कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–3–88–16 ए, दिनांक 12.09.1989 (राजपत्र दिनांक 14.09.1989) द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

15.9.16
(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

**खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)**

**Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16**

## कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये
## 01.10.2016 से 31.03.2017

## की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3–88–16–ए, दिनांक 12.09.1989 (राजपत्र दिनांक 14.09.1989) के अन्तर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2016/**6037**, दिनांक **15.09.2016** के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 5018 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 661 (1960=100), जनवरी से जून 1988 के आधार पर ऑकड़ों के ऊपर जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में 62 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, जिसके कारण कृषि श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता प्रतिमाह 4362.00 रूपये या 145.40 रूपये प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2016 तक देय है। **(अनुसूची – ''ख'')**

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# अनुसूची–''ख''

## कृषि में नियोजन (भाग– ''दो'')

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है।

(आँकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| दिनाँक 01.04.2016 से 30.09.2016 | | | | | | | दिनाँक 01.10.2016 से 31.03.2017 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 603.90 | 20.13 | 4300.00 | 143.33 | 4903.90 | 163.46 (163) | अकुशल कृषि श्रमिक | 603.90 | 20.13 | 4362.00 | 145.40 | 4965.90 | 165.53 (166) |

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
**Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16**

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2016 / 6038, रायपुर, दिनांक– 15.09.2016

## अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2016 से जून 2016 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

| माह / वर्ष | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100) |
|---|---|
| जनवरी 2016 | 6140 |
| फरवरी 2016 | 6095 |
| मार्च 2016 | 6117 |
| अप्रैल 2016 | 6186 |
| मई 2016 | 6277 |
| जून 2016 | 6323 |
| **कुल** | $\frac{37138}{6}$ = **6190** |

इनका औसत 6091 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16 / 2010 / 16, दिनांक 22.07.2010 (राजपत्र दिनांक 30.07.2010) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों **परिशिष्ट ''अ''** के श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

15.9.16
**(अविनाश चम्पावत)**
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

## परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

## विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग–एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है। उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 में अप्रैल 2010 के पूर्व महँगाई भत्ता को मूल वेतन में समाहित किया जाकर नवीन न्यूनतम वेतन की गणना की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2016/**6038**, दिनांक **15.09.2016** के अनुसार जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **6091** रहा है, इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100), जुलाई से दिसम्बर 2009 के आधार पर आँकड़ों के ऊपर कुल 1172 औसत बिन्दुओं तथा जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में **99** औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप 45 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता रूपया 1.00 (एक रूपया) प्रति बिंदु प्रतिमाह के मान से 99.00 रुपये तथा कुल 2774.00 रुपये या 106.69 = 107.00 रुपये प्रतिदिन (26 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है। **(अनुसूची–''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'')**

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये **अनुसूची–''क''** के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है।

## परिशिष्ट– ''अ''

# अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग–''एक'')

| क्र0 | नियोजन का नाम |
|---|---|
| 01 | पावर प्लांट में नियोजन |
| 02 | स्टील प्लांट में नियोजन |
| 03 | स्पंज आयरन में नियोजन |
| 04 | रोलिंग मिल में नियोजन |
| 05 | कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन |
| 06 | सीमेंट फैक्ट्री |
| 07 | सुरक्षा गार्ड में नियोजन |
| 08 | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन |
| 09 | स्टोन क्रेशिंग में नियोजन |
| 10 | पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन |
| 11 | ईंट भट्ठा में नियोजन |
| 12 | चूना भट्ठा में नियोजन |
| 13 | टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नही है, के निर्माण में नियोजन |
| 14 | पाटरिज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन |
| 15 | सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन |
| 16 | मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यो में नियोजन |
| 17 | इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन |
| 18 | सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन |
| 19 | वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी |
| 20 | किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन |

| | |
|---|---|
| 21 | किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन |
| 22 | शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन |
| 23 | हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन |
| 24 | विक्रय सवंर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार) |
| 25 | किसी मुद्रणालय में नियोजन |
| 26 | पेट्रोल पम्प / डीजल पम्प / गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन |
| 27 | साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन |
| 28 | किसी तेल मिल में नियोजन |
| 29 | केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन |
| 30 | हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक |
| 31 | किसी चांवल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन |
| 32 | किसी मुर्रा, पोहा निर्माणी में नियोजन |
| 33 | खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन |
| 34 | खांडसारी उद्योग / चीनी मिल में नियोजन |
| 35 | किसी आरा मिल में नियोजन / वुड वर्क |
| 36 | प्लास्टिक उद्योग में नियोजन |
| 37 | फ्यूल कोक में नियोजन |
| 38 | पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन |
| 39 | कोसा उद्योग में नियोजन |
| 40 | हाथ करघा उद्योग में नियोजन |
| 41 | कंबल निर्माण कार्य में नियोजन |
| 42 | बोन मिल में नियोजन |
| 43 | लोक मोटर परिवहन में नियोजन |
| 44 | पोल्ट्री फार्म में नियोजन |
| 45 | किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 ''के'' परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नही आती हैं, में नियोजन |

# परिशिष्ट–''ब''

## स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर माह में सभी अवकाश के दिनांक का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारी के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए हैं, उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाली कर्मचारी को देय है।

3. कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की व्याख्या

(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।

(ख) अर्द्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाएं, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है।

(ग) अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे–साधे कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिये।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।

5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होगें।

6. न्यूनतम वेतन दरों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहॉ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिये खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे जो आठ घंटे दैनिक छः दिन सप्ताह में कार्य करते हैं एवं एक दिन संवैतनिक अवकाश देने पर, समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

## परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

## विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग–एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 02.03.2012 द्वारा पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री हेतु विशेष न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई। **(अनुसूची ''ब'')**

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री हेतु श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये **अनुसूची–''ब''** के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है।

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16


## परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं

## पुनरीक्षित दरों के संबंध में

## विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग–एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)–7–82–श्रम–16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–16/2010/16 दिनांक 02.03.2012 द्वारा सुरक्षा गार्ड नियोजन के विशेष न्यूनतम वेतन की घोषणा की गई। (अनुसूची ''स'')

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत**, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा सुरक्षा गार्ड नियोजन के श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये **अनुसूची–''स''** के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है।

# अनुसूची–''अ''

**45 अनुसूचित नियोजन भाग–एक (अनुसूची ''ब'', ''स'', ''द'' छोड़कर) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें,**

**जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है।**

(आँकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| दिनाँक 01.04.2016 से 30.09.2016 | | | | | | | दिनाँक 01.10.2016 से 31.03.2017 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3432.00 | 132.00 | 2675.00 | 102.88 | 6107.00 | 234.88 (235) | अकुशल | 3432.00 | 132.00 | 2774.00 | 106.69 | 6206.00 | 238.69 (239) |
| 3614.00 | 139.00 | 2675.00 | 102.88 | 6289.00 | 241.88 (242) | अर्द्धकुशल | 3614.00 | 139.00 | 2774.00 | 106.69 | 6388.00 | 245.69 (246) |
| 3874.00 | 149.00 | 2675.00 | 102.88 | 6549.00 | 251.88 (252) | कुशल | 3874.00 | 149.00 | 2774.00 | 106.69 | 6648.00 | 255.69 (256) |

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत् 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट–''अ'' तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट–''ब'' में देखें।

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# अनुसूची ''ब'

परिशिष्ट ''अ'' में उल्लेखित अनुसूचित नियोजन संख्या 1,2,3,4,5,6 पावर प्लांट, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, रोलिंग मिल, कास्टिंग उद्योग एवं सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है ।

(आँकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| दिनाँक 01.04.2016 से 30.09.2016 | | | | | | | दिनाँक 01.10.2016 से 31.03.2017 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3822.00 | 147.00 | 2324.00 | 89.38 | 6146.00 | 236.38 (236) | अकुशल | 3822.00 | 147.00 | 2423.00 | 93.19 | 6245.00 | 240.19 (240) |
| 4030.00 | 155.00 | 2324.00 | 89.38 | 6354.00 | 244.38 (244) | अर्द्धकुशल | 4030.00 | 155.00 | 2423.00 | 93.19 | 6453.00 | 248.19 (248) |
| 4316.00 | 166.00 | 2324.00 | 89.38 | 6640.00 | 255.38 (255) | कुशल | 4316.00 | 166.00 | 2423.00 | 93.19 | 6739.00 | 259.19 (259) |
| 4758.00 | 183.00 | 2324.00 | 89.38 | 7082.00 | 272.38 (272) | अति कुशल | 4758.00 | 183.00 | 2423.00 | 93.19 | 7181.00 | 276.19 (276) |

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# अनुसूची ''स''

## सुरक्षा गार्ड नियोजन

परिशिष्ट ''अ'' में उल्लेखित नियोजन संख्या 07 सुरक्षा गार्ड के नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें,
जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता सम्मिलित है।

(आँकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| दिनाँक 01.04.2016 से 30.09.2016 | | | | | | | दिनाँक 01.10.2016 से 31.03.2017 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.00 | 11 | 12 | 13 |
| 4056.00 | 156.00 | 2324.00 | 89.38 | 6380.00 | 245.38 (245) | अकुशल | 4056.00 | 156.00 | 2423.00 | 93.19 | 6479.00 | 249.19 (249) |
| 4316.00 | 166.00 | 2324.00 | 89.38 | 6640.00 | 255.38 (255) | अर्द्धकुशल | 4316.00 | 166.00 | 2423.00 | 93.19 | 6739.00 | 259.19 (259) |
| 4576.00 | 176.00 | 2324.00 | 89.38 | 6900.00 | 265.38 (265) | कुशल | 4576.00 | 176.00 | 2423.00 | 93.19 | 6999.00 | 269.19 (269) |
| 4836.00 | 186.00 | 2324.00 | 89.38 | 7160.00 | 275.38 (275) | अति कुशल | 4836.00 | 186.00 | 2423.00 | 93.19 | 7259.00 | 279.19 (279) |

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# अनुसूची–''द''

परिशिष्ट ''अ'' में उल्लेखित नियोजन संख्या 25 किसी मुद्रणालय में नियोजन मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है।

(आँकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता | | कुल वेतन | | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| दिनाँक 01.04.2016 से 30.09.2016 | | | | | | | दिनाँक 01.10.2016 से 31.03.2017 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4134.00 | 159.00 | 2675.00 | 102.88 | 6809.00 | 261.88 (262) | लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक, | 4134.00 | 159.00 | 2774.00 | 106.69 | 6908.00 | 265.69 (266) |
| 4004.00 | 154.00 | 2675.00 | 102.88 | 6679.00 | 256.88 (257) | श्रेणी दो, कुशल श्रेणी | 4004.00 | 154.00 | 2774.00 | 106.69 | 6778.00 | 260.69 (261) |
| 4004.00 | 154.00 | 2675.00 | 102.88 | 6679.00 | 256.88 (257) | श्रेणी एक | 4004.00 | 154.00 | 2774.00 | 106.69 | 6778.00 | 260.69 (261) |
| 3874.00 | 149.00 | 2675.00 | 102.88 | 6549.00 | 251.88 (252) | श्रेणी दो | 3874.00 | 149.00 | 2774.00 | 106.69 | 6648.00 | 255.69 (256) |
| 3614.00 | 139.00 | 2675.00 | 102.88 | 6289.00 | 241.88 (242) | श्रेणी तीन, अर्द्धकुशल श्रमिक | 3614.00 | 139.00 | 2774.00 | 106.69 | 6388.00 | 245.69 (246) |
| 3874.00 | 149.00 | 2675.00 | 102.88 | 6549.00 | 251.88 (252) | श्रेणी एक | 3874.00 | 149.00 | 2774.00 | 106.69 | 6648.00 | 255.69 (256) |
| 3614.00 | 139.00 | 2675.00 | 102.88 | 6289.00 | 241.88 (242) | श्रेणी दो | 3614.00 | 139.00 | 2774.00 | 106.69 | 6388.00 | 245.69 (246) |
| 3432.00 | 132.00 | 2675.00 | 102.88 | 6107.00 | 234.88 (235) | श्रेणी तीन अकुशल श्रमिक | 3432.00 | 132.00 | 2774.00 | 106.69 | 6206.00 | 238.69 (239) |

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# अनुसूची–''क''

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भी शामिल है।

(आँकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता | | कुल वेतन | | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महंगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| दिनाँक 01.04.2016 से 30.09.2016 | | | | | | | दिनाँक 01.10.2016 से 31.03.2017 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3432.00 | 114.40 | 2675.00 | 89.17 | 6107.00 | 203.57 (204) | अकुशल | 3432.00 | 114.40 | 2774.00 | 92.47 | 6206.00 | 206.87 (207) |
| 3614.00 | 120.47 | 2675.00 | 89.17 | 6289.00 | 209.63 (210) | अर्द्धकुशल | 3614.00 | 120.47 | 2774.00 | 92.47 | 6388.00 | 212.93 (213) |
| 3874.00 | 129.00 | 2675.00 | 89.17 | 6549.00 | 218.30 (218) | कुशल | 3874.00 | 129.00 | 2774.00 | 92.47 | 6648.00 | 221.60 (222) |

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2016/6039, रायपुर, दिनांक – 15.09.2016

## //अधिसूचना//

## अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16–ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं **अविनाश चम्पावत** श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2016 से जून 2016 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :–

| माह/वर्ष | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100) |
|---|---|
| जनवरी 2016 | 1245 |
| फरवरी 2016 | 1236 |
| मार्च 2016 | 1241 |
| अप्रैल 2016 | 1255 |
| मई 2016 | 1273 |
| जून 2016 | 1283 |
| कुल | $\frac{7533}{6}$ = 1256 |

अतः विगत छः माहों का औसत 1256 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–1–97–16 ए, दिनांक 12.01.1999 (राजपत्र दिनांक 15.01.1999) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(सी)–1–97–16 ए, दिनांक 18.03.1999 (राजपत्र दिनांक 02.04.1999 में प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है।

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

## <u>अगरबत्ती उद्योग</u>

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2016/**6039,** दिनांक **15.09.2016** के अनुसार जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1256 रहा है। इसलिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी 2016 से जून 2016 तक की अवधि 884 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। (1256–352=904 पाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 11.30 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है।

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (सी) 3–97–16–ए, दिनांक 12.01.1999 (राजपत्र दिनांक 15.01.1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (सी) 3–97–16–ए, दिनांक 18.03.1999 (राजपत्र दिनांक 02.04.1999 में प्रकाशित) के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक देय है। **<u>अनुसूची ''ई''</u>**

## अनुसूची – ''ई''

| क्र0 | कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम मजदूरी की दरें | | | न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें | कुल वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. | अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) | रू0 | 6.31 | पैसे | 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु) | 17.61 |
| | साधारण सुगंधित (सेंटेड) | रू0 | 6.78 | पैसे | 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु) | 18.08 |
| आ. | निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना। | | | | | |
| | **बिना सिलोफेन या जिलेटिन के** | | | | | |
| 1. | 10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 5.37 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु) | 14.41 |
| 2. | 20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 5.84 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु) | 14.88 |
| 3. | 30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 5.84 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु) | 14.88 |
| 4. | 40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 7.60 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु) | 18.90 |
| 5. | 70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 10.28 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु) | 25.38 |
| 6. | 80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 11.05 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु) | 29.13 |
| 7. | 100 ग्राम वजन के प्रति | रू0 | 11.92 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु) | 30.00 |
| 8. | 200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 14.28 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु) | 36.88 |
| | **सिलोफेन या जिलेटिन के** | | | | | |
| 1. | 10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 5.84 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु) | 14.88 |
| 2. | 20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 7.25 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु) | 18.55 |
| 3. | 30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 8.62 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु) | 23.72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | 40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 9.12 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु) | 24.22 |
| **5.** | 70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 10.52 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु) | 25.62 |
| **6.** | 80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 11.92 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु) | 30.00 |
| **7.** | 100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 13.33 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु) | 35.93 |
| **8.** | 200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा | रू0 | 15.21 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु) | 37.81 |
| **(ई)** | निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना। | | | | | |
| | **बिना सिलोफेन या जिलेटिन के** | | | | | |
| **1.** | 10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 4.45 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु) | 11.95 |
| **2.** | 12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 4.90 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिन्दु) | 12.40 |
| **3.** | 23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 5.82 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु) | 14.86 |
| **4.** | 50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 6.31 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु) | 15.35 |
| **5.** | 100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 7.25 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु) | 18.55 |
| **6.** | 200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 8.41 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 600 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु) | 19.71 |
| **(ईई)** | **सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :–** | | | | | |
| 1. | 5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 0.94 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिन्दु) | 2.75 |
| 2. | 10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा | रू0 | 1.15 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिन्दु) | 3.14 |
| 3. | पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000 | रू0 | 1.80 | पैसे | 5 पैसा प्रति बिन्दु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिन्दु) | 4.78 |

# कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)

## न्यूनतम मजदूरी

| क्र0 | कर्मचारियों का वर्ग | मूल वेतन | | परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता | | कुल वेतन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन (पूर्णांक) |
| 1. | एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर | 1699.75 | 65.37 | 4480.00 | 172.31 | 6179.75 | 237.68 (238) |
| 2. | टाईपिस्ट, क्लर्क, | 1590.50 | 61.17 | 4480.00 | 172.31 | 6070.50 | 233.48 (233) |
| 3. | मिस्त्री, ड्राईवर | 1699.75 | 65.37 | 4480.00 | 172.31 | 6179.75 | 237.68 (238) |
| 4. | पेटी बनाने वाले, पेटी भरने वाला | 1590.50 | 61.17 | 4480.00 | 172.31 | 6070.50 | 233.48 (233) |
| 5. | मसाला तोलने वाला, पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला | 1482.40 | 57.01 | 4480.00 | 172.31 | 5962.40 | 229.32 (229) |

**नोट** :—अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

# स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जनवरी 2016 से जून 2016 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिले इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यनूतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नही की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहॉ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहॉ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

15.9.16
(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2016 / 6040, रायपुर, दिनांक 15.09.2016

## अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16–ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अविनाश चम्पावत** श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :–

| माह / वर्ष | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100) |
|---|---|
| जुलाई 2015 | 6003 |
| अगस्त 2015 | 6026 |
| सितम्बर 2015 | 6072 |
| अक्टूबर 2015 | 6140 |
| नवम्बर 2015 | 6163 |
| दिसम्बर 2015 | 6140 |
| जनवरी 2016 | 6140 |
| फरवरी 2016 | 6095 |
| मार्च 2016 | 6117 |
| अप्रैल 2016 | 6186 |
| मई 2016 | 6277 |
| जून 2016 | 6323 |
| कुल | $\frac{73682}{12}$ = 6140.17 = 6140 |

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **6140** घोषित करता हूँ, जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग ईन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 28—116—99—16—ए, दिनांक 04 सितम्बर 2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितम्बर 2000 में प्रकाशित) एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10—20/2012/16, दिनांक 02.11.2012 (राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर 2012) के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक देय रहेगा।

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2016/**6040,** दिनांक **15.09.2016** के अनुसार जुलाई 2015 से जून 2016 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6140 रहा है। इसलिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2015 से जून 2016 तक की अवधि में 6140 (6140–4191=1949 पाईंट) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 19.49 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक देय है। **(अनुसूची "फ")**

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–28–116–99–16–ए, दिनांक 04 सितम्बर, 2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितम्बर 2000) एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10–20/2012/16, दिनांक 02.11.2012 (राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर 2012) के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक देय है।

# अनुसूची ''फ''

## तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

| क्र. | कर्मचारियों का वर्ग | मूल वेतन | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें | कुल वेतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **बीड़ी रोलर**<br>(1000 बीड़ी बनाने के लिए) | रू0 58.90 | 19.49 | रू0 78.39 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 439.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 439.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा। |
| 2. | **रेलाई श्रमिक** | | | |
| अ | **बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना** | | | |
| 1 | लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य | रू0 33.67 प्रति 1000 कट्टों पर | एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार | 43.42 |
| 2 | यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है। | रू0 36.31 प्रति 1000 कट्टों पर | एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार | 46.06 |
| ब. | **झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य** | | | |
| 1. | झिल्ली लेबल लगाना | रू0 29.40 प्रति 1000 कट्टों पर | 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार | 39.15 |
| 2. | झिल्ली लगाना | रू0 21.34 प्रति 1000 कट्टों पर | 1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार | 28.65 |
| 3. | लेबल लगाना | रू0 8.26 प्रति 1000 कट्टों पर | 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार | 10.70 |
| 4. | पुड़ा बनाना या चिपकाना | रू0 8.54 प्रति 1000 कट्टों पर | 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार | 10.98 |
| स. | **एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो** | | | |
| 1. | आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो | रू0 123.13 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर | 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर | 162.11 |
| 2. | झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो | रू0 137.42 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर | 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर | 176.40 |
| 3. | झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो | रू0 137.42 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर | 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर | 176.40 |

**नोट :–**

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाँटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत् समय–समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा–

**01. कुशल** : ड्राईवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोर कीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर।

**02. अर्धकुशल** : बीड़ी छॉटने तथा जांच करने वाला, भट्ठी वाला, रसोईयां, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क।

**03. अकुशल** : ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दर परिवर्तनशील महँगाई भत्ते सहित निम्नानुसार है।

| क्रमांक | कर्मचारियों का वर्ग | मूल वेतन | महँगाई भत्ता | कुल वेतन प्रति माह | कुल वेतन प्रति दिन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुशल | 4556.75 | 1949.00 | 6505.75 | 250.22 |
| 2. | अर्धकुशल | 4368.70 | 1949.00 | 6317.70 | 242.99 |
| 3. | अकुशल | 4182.55 | 1949.00 | 6131.55 | 235.83 |

# EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2016 To 30.09.2017

V.D.A. Revisable Annualy with Effect from 01.10.2016

| No. | Perticular | Rs./P |
|---|---|---|
| 1 | Basic Wages | **58.90** |
| 2 | Variable Dearness Allowance | **19.49** |
| 3 | Leave With Salary (@ 5% of Total Wages) | **3.92** |
| 4 | Tatal Wages | **82.31** |
| 5 | Bonus (@8.33% of Total Wages | **6.86** |
| 6 | P.F. Contributionof Employer @ 10% of Total Wages | **8.23** |
| 7 | Total Wages + Bonus + P.F. Contribution Less Contribution of Employer | **8.23** |
| 8 | Tatal Wages + Bonus | **89.17** |
| 9 | Less P.F. Contribution of Employee ( @10% of Total Wages) | **8.23** |
| 10 | Net Payable to Beedi Roller | **80.93** |

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4191 (1960=100) पर आधारित है। 4191 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय–समय पर प्रकाशित की जावेगी।

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह **5600** बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम **5600** बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।

6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश् किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह **5600** बीड़ियॉ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन
# श्रम विभाग
# दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

## //अधिसूचना//

**रायपुर, दिनांक 29.11.2010**

क्रमांक एफ 10–34/2010/16 राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग–क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों के दर प्रदेश में तीन स्तर से प्रभावशीलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को निम्नानुसार 3 श्रेणी में वर्गीकरण किये जाने के संबंध में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10–22/2010/16, दिनांक 18.08.2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इस संबंध में संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् न्यूनतम वेतन अधिनियम के 45 अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी प्रभावशीलन हेतु प्रदेश के निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित करते हुए वर्गवार क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन से अधिक विशेष वेतन निम्नानुसार प्रभावशील होगा :–

## वर्गीकरण सूची

| क्र0 | शहर/क्षेत्र की श्रेणी | स्थान का नाम | वर्गीकरण के कारण |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1. | (अ) | रायपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र तक। नया रायपुर, नगर पालिका बीरगांव, उरला, सिलतरा, औद्योगिक क्षेत्र। | प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 20/– रू0 अधिक विशेष वेतन। |
| 2. | (ब) | भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र। धमतरी, भिलाई–चरोदा नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से 05 किलोमीटर तक का क्षेत्र। | प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 10/– रू0 अधिक विशेष वेतन। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | (स) | वर्ग ''अ'' एवं ''ब'' छोड़कर शेष प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र । | प्रचलित न्यूनतम वेतन |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(के0डी0 कुंजाम)**
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**पृ0क्रमांक एफ 10—34/2010/16, रायपुर, दिनांक 29/11/2010**
**प्रतिलिपिः—**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. कमिश्नर संभाग ..........................................................................।
5. कलेक्टर, जिला ..........................................................................।
6. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायपुर।
7. सहायक श्रमायुक्त कार्यालय ..........................................................................।
8. आयुक्त, नगर निगम ..........................................................................।
9. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**उप सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड–तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2016 / 6041, रायपुर, दिनांक 15.09.2016

प्रतिलिपि :–

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / 303 / आर / 577 / 97 / नि–514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।

19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
36. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
40. विकास आयुक्त, विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर।
41. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाईंट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
42. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
43. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
44. कृषि उत्पादन आयुक्त, रायपुर।
45. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
46. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, रायपुर।
47. राहत आयुक्त, रायपुर।
48. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
49. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
50. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
51. नियंत्रक, नाप–तौल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
52. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
53. आयुक्त, वाणिज्यिकर, रायपुर।
54. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर।
55. महानिदेशक विभागाध्यक्ष, छ0ग0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर।
56. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
57. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
58. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
59. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, जेल रोड रायपुर।
60. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा राजस्व संभाग,।
61. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
62. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पुराना मंत्रालय के सामने रायपुर।
63. सचिव, राज्य महिला आयोग, रायपुर।
64. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर।
65. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।

66. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
67. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर।
68. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायपुर।
69. सचिव, राज्य युवा आयोग, रायपुर।
70. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर।
71. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।
72. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम–निमोरा, रायपुर।
73. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
74. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
75. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
76. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
77. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
78. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
79. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन रायपुर।
80. संचालक, उद्योग, उद्योग भवन, रायपुर।
81. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर।
82. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
83. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
84. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
85. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर।
86. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, रायपुर।
87. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर छत्तीसगढ़।
88. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
89. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
90. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
91. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, छत्तीसगढ़ रायपुर।
92. संचालक, सैनिक कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
93. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।
94. संचालक, कृषि विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।
95. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, रायपुर, छत्तीसगढ़।
96. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

97. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

98. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।

99. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।

100. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।

101. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।

102. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ रायपुर।

103. संचालक, मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ रायपुर।

104. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर।

105. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

106. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के पास।

107. संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।

108. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।

109. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

110. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

111. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।

112. प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।

113. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।

114. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, रायपुर।

115. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।

116. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर छत्तीसगढ़।

117. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, रायपुर, छत्तीसगढ़।

118. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।

119. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक–1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर–चांपा।

120. कुल सचिव, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

121. कुल सचिव, पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

122. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।

123. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।

124. कुल सचिव, पं0 सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

125. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

126. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़।

127. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
142. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
151. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
152. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर।
153. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।
154. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण रायपुर।
155. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।
156. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।
157. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
158. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नया रायपुर।

**159.** सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर।

**160.** उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**161.** क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।

**162.** क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।

**163.** इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।

**164.** समस्त उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।

**165.** संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।

**166.** सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर।

**167.** कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर।

**168.** सहायक श्रमायुक्त– रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।

**169.** श्रम पदाधिकारी–राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर–चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर।

**170.** प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नया रायपुर।

**171.** उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर–चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

**172.** केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ ।

**173.** केन्द्र अभियंता दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ ।

**174.** संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

15.9.16

(अविनाश चम्पावत)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
Email ID - com-labour.cg@gov.in, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

**क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र.आ./2016/6041, नया रायपुर, दिनांक- 15.09.2016**

**प्रति,**

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

**विषय :- दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।**

**--000--**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2016 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट **www.cglabour.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

**संलग्न :- उपरोक्तानुसार।**

(एस0एल0 जांगड़े)
उप श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त छ0ग0, रायपुर